

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 61/2013

दायर दिनांक: 03.06.2013

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र नारायणबन आयु 75 वर्ष जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां
वादी

बनाम

1. रामचरण पुत्र भीमा उम्र 45 वर्ष
2. रामेश्वर पुत्र भीमा उम्र 43 वर्ष
3. महावीर पुत्र भीमा उम्र 35 वर्ष
4. अनार बाई पुत्री भीमा उम्र 30 वर्ष
5. बूचीबाई पत्नी भीमा उम्र 65 वर्ष जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू
6. रतनीबाई पत्नी नारायणबन
7. फूलाबाई पुत्री नारायणबन

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचंद गौतम।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनांक 09/12/2024

वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल चरडाना तहसील अटरू जिला बारां में खसरा न० 527 का रकबा 1.46 हैक्ट० खसरा न० 551/674 रकबा 0.15 हैक्ट० व खसरा न० 832/3 रकबा 1.27 हैक्ट० कुल किता 3 का कुल रकबा 2.88 हैक्ट० आराजी के समक्ष में निर्णय दिनांक 09.02.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के 1/2- 1/2 हिस्से का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव तैयार

कर चाहा गया। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1068 दिनांक 14.06.2023 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण ने सहमती दी।

विवादित आराजी ग्राम एवं माल चरडाना के खाता संख्या 132 खसरा न0 527 का रकबा 1.46 हैक्ट0, 551/674 का रकबा 0.15 हैक्ट0, 832/3 का रकबा 1.27 हैक्ट0 कुल किता 3 की 2.88 है0 भीमा पुत्र नारायणबन जाति गुसाई निवासी बगली के खाता दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक प्राथमिक डिक्री/विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार विभाजन किया जाता है –

क्र.स.	खातेदार का नाम	खसरा न0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1	बाबूलाल पुत्र नारायणबन जाति गुसाई निवासी बगली	551/674	0.15 है0	माल-1	1.80	
		527	0.65 है0	माल-1	7.80	दक्षिण
		832/3	0.64 है0	माल-1	7.68	उत्तर
		किता – 3	1.44 हैक्ट0	–	17.28	

2. प्रतिवादी क्रम 1 ता 5

रामचरण, रामेश्वर, महावीर पुत्र	527	0.81 है0	माल-1	9.72	उत्तर
अनारबाई पुत्री बूचीबाई पत्नी	832/3	0.63 है0	माल-1	7.56	दक्षिण
स्व0 भीमा जाति गुसाई निवासी बगली					

किता – 2 1.44 हैक्ट0 – 17.28

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्ददाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 61/2013

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र नारायणबन आयु 75 वर्ष जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू जिला बारां

वादी

बनाम

1. रामचरण पुत्र भीमा उम्र 45 वर्ष
2. रामेश्वर पुत्र भीमा उम्र 43 वर्ष
3. महावीर पुत्र भीमा उम्र 35 वर्ष
4. अनार बाई पुत्री भीमा उम्र 30 वर्ष
5. बूचीबाई पत्नी भीमा उम्र 65 वर्ष जाति गुसाई निवासी बगली तहसील अटरू
6. रतनीबाई पत्नी नारायणबन
7. फूलाबाई पुत्री नारायणबन

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम

प्रतिवादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री बट्टीलाल नागर

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल चरडाना के खाता संख्या 132 खसरा न0 527 का रकबा 1.46 हैक्ट0, 551/674 का रकबा 0.15 हैक्ट0, 832/3 का रकबा 1.27 हैक्ट0 कुल किता 3 की 2. 88 है0 भीमा पुत्र नारायणबन जाति गुसाई निवासी बगली के खाता दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक प्राथमिक डिक्री /विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार विभाजन किया जाता है -

क्र.स.	खातेदार का नाम	खसरा न0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1	बाबूलाल पुत्र नारायणबन जाति गुसाई निवासी बगली	551/674	0.15 हे0	माल-1	1.80	
		527	0.65 हे0	माल-1	7.80	दक्षिण
		832/3	0.64 हे0	माल-1	7.68	उत्तर
		किता - 3	1.44 हैक्ट0	-	17.28	

2. प्रतिवादी क्रम 1 ता 5

रामचरण, रामेश्वर, महावीर पुत्र	527	0.81 हे0	माल-1	9.72	उत्तर
अनारबाई पुत्री बूचीबाई पत्नी	832/3	0.63 हे0	माल-1	7.56	दक्षिण
स्व0 भीमा जाति गुसाई निवासी बगली					

किता - 2 1.44 हैक्ट0 - 17.28

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.12.2024 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)